"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 417] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर 2016— कार्तिक 25, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 (कार्तिक 25, शक 1938)

क्रमांक-11866/वि. स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016) जो बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 25 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्र. 30 सन् 2002) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्र. 30 सन् 2002) की द्वितीय अनुसूची में, सरल क्रमांक 1 में,-

(एक) प्रविष्टि (दो) में, शब्द "जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद धारित किया हो" के स्थान पर, शब्द "जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधीश का पद धारित किया हो" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) प्रविष्टि (तीन) का लोप किया जाये.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

राज्य के प्रमुख लोकायुक्त के वेतनमान में, अन्य राज्यों जैसे उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात आदि के साथ समरूपता लाने के लिए, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्र. 30 सन् 2002) की द्वितीय अनुसूची में संशोधन करना प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 11 नवम्बर, 2016

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित रुपये 3,06,000/- (रुपये तीन लाख छ: हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 4 (5) की द्वितीय अनुसूची-1 का सुसंगत उद्धरण-

1. प्रमुख लोकायुक्त को, नियुक्ति के पश्चात् वास्तविक सेवा में व्यतीत किये गये समय के संबंध में, वेतन तथा ऐसी परिलब्धियां तथा भत्ते संदत्त किये जाएंगे जो-

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
(एक) भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को देय है, यदि प्रमुख लोकायुक्त को उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारित किया हो,	यथावत.
(दो) किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को देय है, यदि प्रमुख लोकायुक्त को उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद धारित किया हो.	(दो) किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को देय है, यदि प्रमुख लोकायुक्त को उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधीश का पद धारित किया हो.
(तीन) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय है, यदि प्रमुख लोकायुक्त को उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारित किया हो.	विलोपन.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.